

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 25/2019

निर्णय दिनांक – 10.04.2019

1. श्रीमति गीता बाई पत्नि शान्तिलाल जाति मेनारिया आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. श्रीमति सीता बाई पत्नि नानालाल जाति मेनारिया आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. श्रीमति शान्ति बाई पत्नि केसरीमल जाति मेनारिया आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– प्रार्थी

// बनाम //

1. श्री पुष्पेन्द्र कीर पिता मनोहर जाति कीर आयु वयस्क निवासी बामनिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. श्री नारायणलाल पिता नाना जाति पुर्बिया आयु वयस्क निवासी बामनिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. श्री हीरालाल पिता वेणीराम जाति डांगी आयु वयस्क निवासी बामनिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

#### आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बामनिया की खाता संख्या 24 की आराजी नं0 324 रकबा 3.5400 हेक्टेयर, आराजी नं0 330 रकबा 2.7800 हेक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 6.3200 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बामनिया की खाता संख्या 24 की आराजी नं0 324 रकबा 3.5400 हेक्टेयर, आराजी नं0 330 रकबा 2.7800 हेक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 6.3200 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

